

राज्य और केन्द्र की योजनाओं का लाभ समय पर लाभार्थियों को मिले

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, को अध्यक्षता में गुरुवार को राजभवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान, जपेद अंग्रेजी में अंगनबाड़ी केंद्रों की नवीन स्वीकृति विषयक कार्यवाही की अद्यतन विधि, भारत सरकार द्वारा विविध पोषित महिला एवं बाल विकास विभाग की समस्त योजनाओं समीक्षा की गई। विसमें अंगनबाड़ी केंद्रों को कार्यालयित करने वाली धनराशि तथा उसके से प्राप्त होने वाली धनराशि तथा उसके उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गयी।

राज्यपाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं के प्रभावी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए दिया। उन्होंने राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी योजनाओं तक का लाभ समय पर लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। राज्यपाल ने कियान्वित हो रही है। राज्यपाल ने विभाग की नियमित रूप से मंत्रियों के साथ बैठक करने का निर्देश भी दिये, ताकि योजनाओं के विशेष ध्यान नहीं देते हुए विभाग की मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंगनबाड़ी केंद्रों का निरंतर सरप्राइज विजिट करें। उन्होंने जिलों में सीडीपीओ, सुपरवाइजर और कार्यक्रमियों की नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए।



राज्यपाल ने कहा कि अंगनबाड़ी केंद्रों का विशेष ध्यान देते हुए विभागीय योजनाओं के प्रभावी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए दिया। उन्होंने राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी योजनाओं तक का लाभ समय पर लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। राज्यपाल ने कियान्वित हो रही है। राज्यपाल ने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं के प्रभावी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए दिया। उन्होंने राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए दिया। उन्होंने अंगनबाड़ी केंद्रों में गो-भार्ड कार्यक्रम के दौरान सार्थक मात्राओं के सामने देशभक्ति, शहीदों की कहानी वा धार्मिक कथाओं का वर्णन करने के लिए आशयक कदम उठाए। उन्होंने अंगनबाड़ी केंद्रों में गो-भार्ड कार्यक्रम के दौरान सार्थक मात्राओं के सामने देशभक्ति, शहीदों की कहानी वा धार्मिक कथाओं का वर्णन करने के लिए आशयक कदम उठाए। उन्होंने अंगनबाड़ी केंद्रों के दौरान सार्थक मात्राओं के सामने देशभक्ति, शहीदों की कहानी वा धार्मिक कथाओं का वर्णन करने के लिए आशयक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि अंगनबाड़ी के बच्चों को स्कूल, मंचायत, खेलकूद का मैटेन और बाजार का भ्रमण करते रहना चाहिए, जिससे उक्त सर्वाधीन विकास हो सके।

डिलीवरी पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अभी भी कुछ प्रतिशत डिलीवरी अस्पताल में नहीं हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस समस्या के कारणों का विशेषण करें और उन्हें उठाकर दिया। उन्होंने कहा कि अंगनबाड़ी के बच्चों को स्कूल, मंचायत, खेलकूद का मैटेन और बाजार का भ्रमण करते रहना चाहिए, जिससे उक्त सर्वाधीन विकास हो सके।

राज्यपाल ने जनपद अवोध्या में नए अंगनबाड़ी केंद्रों के शीर्ष निर्माण और उन्हें समय पर अवश्यक किट प्रदान करने पर भी जोर दिया। उन्होंने विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को अंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अंगनबाड़ी के बच्चों को स्कूल, मंचायत, खेलकूद का मैटेन और बाजार का भ्रमण करते रहना चाहिए, जिससे उक्त सर्वाधीन विकास हो सके।

राज्यपाल ने जनपद अवोध्या में नए अंगनबाड़ी केंद्रों के शीर्ष निर्माण और उन्हें समय पर अवश्यक किट प्रदान करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को अंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अंगनबाड़ी के बच्चों को स्कूल, मंचायत, खेलकूद का मैटेन और बाजार का भ्रमण करते रहना चाहिए, जिससे उक्त सर्वाधीन विकास हो सके।

69000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने निदेशालय पर किया प्रदर्शन, संवैधानिक संरक्षण की मांग



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

69000 शिक्षक भर्ती के चयनित सामाजिक वर्ग के सैकड़ों शिक्षकों ने नौकरी बचाने के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि चयनित नौकरी बचाने के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा नि�देशालय पर प्रदर्शन करने वाले रहे। इन शिक्षकों का कहना था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे हैं। उनका प्रदर्शन अपनी नौकरी बचाने के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय पर चला गया। यदि शिक्षक इस पॉर्टफोली से सुनिपुत्र नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यदि शिक्षक इस पॉर्टफोली से सुनिपुत्र नहीं हुए तो अंग्रेजी अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार सरकार के अदेश के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय पर चला गया।

पुलिस भर्ती को लेकर पुनर्वास विश्वविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाए रखने के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करने वाले रहे। इन शिक्षकों को नौकरी में सुरक्षित बनने के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय पर चला गया। यदि शिक्षक इस पॉर्टफोली से सुनिपुत्र नहीं हुए तो अंग्रेजी अभ्यर्थियों की मांग कर रहे हैं। साथ ही ही हाईकोर्ट के अदेश के बाद सरकार ने जो नई मेरिट जारी करना चाहता है कि उसका लाभार्थियों को लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय पर चला गया।

उन्होंने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती में 19000 की धांधली की सूची किसने बनाया।

नौकरी पा चुके शिक्षकों ने पूछा पीड़ित कौन

नौकरी पा चुके शिक्षकों ने प्रदर्शन के दौरान अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर आरक्षण के पुरे पर ही सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया को सही बताते हुए कहा कि 69000 भर्ती प्रक्रिया में अधिक पीड़ित कौन है? प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे हैं। उनका प्रदर्शन अपनी नौकरी बचाने के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय पर चला गया। यदि शिक्षक इस पॉर्टफोली से सुनिपुत्र नहीं हुए तो अंग्रेजी अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार सरकार के अदेश के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय पर चला गया। यदि शिक्षक इस पॉर्टफोली से सुनिपुत्र नहीं हुए तो अंग्रेजी अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार सरकार के अदेश के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय पर चला गया।

दोनों गुटों ने आमने-सामने किया प्रदर्शन

हाईकोर्ट के अदेश के बाद 6800 अभ्यर्थी बीते तीन दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन वर्षों से लगातार गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय के बाहर का माहौल काफी बदल गया। यदि शिक्षक इस पॉर्टफोली से सुनिपुत्र नहीं हुए तो अंग्रेजी अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार सरकार के अदेश के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय पर चला गया। यदि शिक्षक इस पॉर्टफोली से सुनिपुत्र नहीं हुए तो अंग्रेजी अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार सरकार के अदेश के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय पर चला गया।

उन्होंने कहा कि 69000 भर्ती में 19000 की धांधली की सूची किसने बनाया।

दवा सेवन कर फाइलेरिया

उज्जूलन में करें सहयोग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सर्वजन दवा सेवन अभियान शुरू हुए पांच दिन बीते चुके हैं और इन पांच दिनों में 2.84 करोड़ लोगों ने अब तक फाइलेरियारोधी दवा का सेवन किया है। बता दें कि कुछ लोग दवा को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय के बाहर का माहौल काफी ताकान दवा सेवन करने वाले रहे थे तो वही 6800 अभ्यर्थी अभ्यर्थी के मुद्रे लेकर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले रहे थे तो वही 17 अप्रैल संविधान दवा का घेरा किया। यहाँ दवा का घेरा किया। अब तक फाइलेरियारोधी दवा को लेकर रही रही है। इस संबंध में बीते चार दिन यानि सोमवार के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय के बाहर रहा रहा तो वही अंग्रेजी अभ्यर्थियों की मांग कर रहे हैं। उनको यह बताया है कि कोई डॉक्यूमेंट में उनको दवा का घेरा किया गया है। अब तक फाइलेरियारोधी दवा को लेकर रही रही है। इस संबंध में बीते चार दिन यानि सोमवार के लिए गुरुवार को निशानांज स्थित शिक्षा निदेशालय के बाहर रहा रहा तो वही अंग्रेजी अभ्यर्थियों की मांग कर रहे हैं।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालयीय डॉ.ए.के.वी.धर्मी ने बताया कि 10 अप्रैल से दो सितंबर तक चलने वाले एप्लीकेशन और आईएस अभ्यर्थी के दौरान 7.69 करोड़ लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा किलाने का लक्ष्य है। जिसके साथ

वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक सदस्यों ने कई ग्रावधानों पर उठाए सवाल

भाषा। नई दिल्ली


वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने प्रस्तावित कानून के कई प्रावधानों पर विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों के बीच बृहस्पतिवार को पहली मैराथन बैठक की। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से एक प्रस्तुति दी गई। बैठक के दौरान कई बार तीखी बहस हुई लेकिन विभिन्न दलों के सदस्यों ने कई घटे तक बैठकर विधेयक के प्रावधानों पर अपने विचार दर्ज कराए, सुझाव दिए और स्पष्टीकरण मांगा। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के असदुद्दीन ओवैसी और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के ए. राजा के साथ कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने जिलाधिकारी को और अधिकार देने और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को रखने सहित कई प्रावधानों की आवश्यकता पर सवाल उठाए।



**ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਲੱਗ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਹਾ- ਨੀਤੀਥਾ ਔਦ ਨਾਯਙੂ ਨੇ
ਹਮੇਂ ਵਕਫ਼ ਵਿਧੇਯਕ ਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਕਾ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਯਾ**

नई दिल्ली। (भाषा) औल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालित सैफुल्लाह रहमानी ने ब्रह्मस्पतिवार को दावा किया कि मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है जिसमें दोनों नेताओं ने यकीन दिलाया कि वे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे। रहमानी ने कुछ शीर्ष मुस्लिम संगठनों के प्रमुखों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की। नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) और नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गण्डीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजा) की प्रमुख घटक हैं। रहमानी ने यह भी कहा कि केंद्र को यह विधेयक वापस लेना चाहिए और अगर यह विधेयक संसद में पारित करने के लिए पेश किया गया तो इसके खिलाफ देशवापी आंदोलन किया जाएगा तथा कानून के दायरे में रहते हुए प्रत्येक लड़ाई लड़ी जाएगी। इस संवाददाता सम्मेलन में रहमानी के अतिरिक्त जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी, जमात-ए-इस्लामी हिंद के अमीर सआदतुल्ला हुसैनी, मरकजी जमीयत अहले हदीस के प्रमुख मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी, पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुज़दिदी और पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास मौजूद थे। यह पूछे जाने पर कि क्या जद (यू) और तेदेपा के नेताओं से भी मुलाकात हुई है और उनका क्या स्वयं है, तो रहमानी ने कहा, हम लोगों की मुलाकात अलग-अलग विपक्षी दलों के नेताओं से हुई है। चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि वह इस विधेयक का विरोध करेंगे। कल (बुधवार को) नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि वह इसका विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव (राजद नेता) से मुलाकात हुई और उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि वह इसका विरोध करेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वक्फ पर सरकार को हाथ नहीं रखने दिया जाएगा। उनका कहना था कि कई अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और राजा के सहयोगी दलों ने भी विधेयक का विरोध करने का विश्वास दिलाया है। नीतीश और नायडू से मुलाकात के विवरण के बारे में पूछे जाने पर रहमानी ने कहा, हम इस बारे में विस्तार से नहीं बता सकते। हम उनसे मिल चुके हैं। ए कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ए न्याय और अन्याय का मसला है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाजपा के सहयोगियों सहित सभी धर्मनिरपेक्ष दल न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मद्देनजर हमारा समर्थन करें। मुस्लिम संगठनों ने उस दिन संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया जिस दिन वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक हुई। जमीयत प्रमुख अरशद मदनी ने आरोप लगाया कि मसला सिर्फ वक्फ का नहीं, बल्कि मसला यह है कि हिंदुस्तान के संविधान में अल्पसंख्यकों को जो आजादी दी गई है, मौजूदा सरकार उसके खिलाफ काम कर रही है।

लापता बच्चों और महिलाओं
का पता लगाना सरकार का
कर्तव्य : बंबई उच्च न्यायालय



मुंबई। (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि लापता बच्चों और महिलाओं का पता लगाना सरकार का कर्तव्य है।

समाज-सामाजिक दीर्घ समय से इसका असंतोष दिखाएँगे।

मुख्य न्यायाधीश डॉ. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोकर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को ऐसे मामलों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने मानव तस्करी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) से भी जवाब मांगा तथा इसे रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (एमएससीडब्ल्यू) से सुझाव आमंत्रित किए। सांगली निवासी शाहजी जगताप की ओर से दायर जनहित याचिका में राज्य पुलिस को 2019 और 2021 के बीच महाराष्ट्र में लापता हुई एक लाख से अधिक महिलाओं का पता लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में लापता महिलाओं और बच्चों के मामलों में राज्य के अधिकारियों द्वारा बरती जा रही निष्क्रियता पर चिंता जताई गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता मंजरी पारसनीस ने बृहस्पतिवार को अदालत को सूचित

द्वारा दिए गए आकड़े मिलें अजिसके मुताबिक महाराष्ट्र में लापता बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। मंत्रालय के मुताबिक, 2019, 2020 और 2021 में, लापता बच्चों की संख्या क्रमशः 4,562, 3,356 और 4,129 थीं। इसी तरह, इन तीन वर्षों में महाराष्ट्र में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लापता होने के एक लाख से अधिक मामले सामने आए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों और महिलाओं के लापता होने के कई कारण हो सकते हैं। पीठ ने कहा, लेकिन उनका पता लगाना और उनकी सुरक्षा करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित आश्रय देना राज्य का कर्तव्य है। लापता बच्चों और महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या का एक कारण संभवतः मानव तस्करी का खतरा है, जिसके लिए सभी सरकारी विभागों, पुलिस, रेलवे और अन्य विभागों के सभी अधिकारियों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए चार अवस्थाएँ तय की है।

— à — à — à — à —


ખાદ્ય સુરક્ષા નિયામનક ફાદ્ય, દહી સે એ-વન, એ-ટૂ કે દાવો કો હટાને કા આદેશ

नई दिल्ला। (भाषा) खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएआई ने बृहस्पतिवार को ई-कॉर्मस सहित खाद्य कंपनियों को पैकेट से ए-वन और ए-टू प्रकार के दूध, दही समेत अन्य उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया। नियामक ने इस तरह के लेबल को भ्रामक बताया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएआई) ने कहा कि ए दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं हैं। अपने ताजा आदेश में, एफएसएआई ने कहा कि उसने इस मुद्दे की जांच की है और पाया है कि ए-वन और ए-टू का अंतर दूध में बीटा-कैसीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ है। हालांकि, मौजूदा एफएसएआई नियम इस अंतर को मान्यता नहीं देते हैं। खाद्य व्यवसाय परिचालकों का जिक्र करते हुए नियामक ने कहा, एफबीओ को अपने उत्पादों से ऐसे दावों को हटाने का निर्देश दिया गया है। ई-कॉर्मस मंच को भी उत्पादों और वेबसाइट से इन दावों का तुरंत हटान के लिए कहा गया। कंपनियों को पहले से मुद्रित लेबल समाप्त करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है, इसके अलावा कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। ए-1 और ए-2 दूध में बीटा-कैसीन प्रोटीन की संरचना अलग-अलग होती है, जो गाय की नस्त के आधार पर अलग-अलग होती है। नियामक ने इस निर्देश का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। आदेश का स्वागत करते हुए परगा मिल्क फूड्स के चेयरमैन देवेंद्र शाह ने कहा कि एफएसएआई का आदेश सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने एक बयान में कहा, ए-1 और ए-2 विपणन मकसद से विकसित की गई श्रेणी है। ...यह जरूरी है कि हम भ्रामक दावों को खत्म करें जो उपभोक्ताओं को गलत जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ए-1 या ए-2 दूध उत्पाद श्रेणी कभी अस्तित्व में नहीं थी और वैश्विक स्तर पर भी यह प्रवृत्ति खत्म हो रही है और उन्होंने कहा कि एफएसएआई का स्पष्टीकरण इस व्यापक समझ का समर्थन करता है।



(एन्सेसेसेजाइ) न कहा। एक ५ दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं हैं। अपने ताजा आदेश में, एफएसएसएआई ने कहा कि उसने इस मुद्रे की जांच की है और पाया है कि ए-वन और ए-टू का अंतर दूध में बीटा-केरीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ है। हालांकि, मौजूदा एफएसएसएआई नियम इस अंतर को मान्यता नहीं देते हैं। खाद्य व्यवसाय परिचालकों का जिक्र करते हुए नियामक ने कहा, एफबीओ को अपने उत्पादों से ऐसे दावों को हटाने का निर्देश दिया गया है। ई-कॉर्मस मंच को भी उत्पादों और वेबसाइट से इन शस्ते नियरा का सख्त लोगों करने पर जो दिया। आदेश का स्वागत करते हुए परग मिल्क फूड्स के चेयरमैन देवेंद्र शाह ने कहा कि एफएसएसएआई का आदेश सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने एक बयान में कहा, ए-१ और ए-२ विपणन मकसद से विकसित की गई श्रेणी है। ... यह जरूरी है कि हम भ्रामक दावों को खत्म करें जो उपभोक्ताओं को गलत जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ए-१ या ए-२ दूध उत्पाद श्रेणी कभी अस्तित्व में नहीं थी और वैश्विक स्तर पर भी यह प्रवृत्ति खत्म हो रही है और उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई का स्पष्टीकरण इस व्यापक समझ का समर्थन करता है।

શરદ પવાર ને એમપીએસસી પરીક્ષા સ્થગિત કરને કી માંગ કરને વાળે અભ્યર્થીઓ કા સમર્થન કિયા



की यह भी मांग है कि एमपीएससी परीक्षा के माध्यम से ही कृषि विभाग के 258 पदों पर नियुक्तियां की जाएं। एमपीएससी के एक अध्यर्थी ने कहा कि वे चाहते हैं कि कृषि विभाग के 258 पदों को एमपीएससी परीक्षा के दायरे में लाया जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्र ने कहा, चूंकि 25 अगस्त को निर्धारित एमपीएससी परीक्षा के साथ-साथ उसी दिन लिपिक पदों के लिए भारतीय बैंकिंग कार्मिक चयन (आईबीपीएस) परीक्षा भी है इसलिए एमपीएससी परीक्षा स्थगित कर दी जानी चाहिए क्योंकि कई छात्रों ने दोनों ही परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है।

अमित शाह ने श्रीपुरा के मुख्यमंत्री साहा से बात की बाढ़ इथिति का जायजा लिया

नई दिल्ली। (भाषा) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से फोन पर बात करके राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और उन्हें केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्रासन दिया शाह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा मोर्चन बल (एनडीआरएफ) के दलों के साथ-साथ नौकाएं और हेलीकॉप्टर भी राज्य में भेज रही हैं इन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डा. माणिक साहा से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। केंद्र राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए राज्य में राष्ट्रीय आपदा मोर्चन बल (एनडीआरएफ) की टीम के अलावा नौका और हेलीकॉप्टर भी भेज रहा है। मुख्यमंत्री को हरसंभव सहायता का आश्रासन देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार संकट की इस घड़ी में त्रिपुरा में हमारे बहनों और भाईयों के साथ मजबूती से खड़ी है। रिवावर से त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है। भारी बारिश के कारण 32,000 से अधिक लोगों ने 330 ग्राहत शिविरों में शरण ली है।

हमें अपना बुनियादी ढंचा विकसित करने की आवश्यकता : प्रह्लाद जोशी



जरूरी है। जारी ढांचा दिशा में, यह परीक्षण कि नरेन्द्र आपस में वार्ता की दिशा दाहरण के भारतीय लाने की बिली पैमाने पर एक करोड़ ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमें नवीकरणीय ऊज़ तक पहुंच मिल सके। उन्होंने एनटीएच से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करके तथा ईव्वर परीक्षण जैसी अधिक सुविधाएं स्थापित करके अपनी परीक्षण क्षमता में विविधत लाने का भी आग्रह किया। एनटीएच विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण और गुणवत्ता आशासन में अग्रणी रहा है। यह उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी। एनटीएच को पहले ही भारत में सेंट्रल विस्टर्न और मेट्रो रेल जैसी कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाएं मिल चकी हैं।

ग्राम का बचान काले बाव ने फूटा
किसान, एसडीईआरएफ के दो जवान ढूँढे

भिंड (मप्र)। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक गाय को बचाने के लिए बांध में कूदा किसान और बचाव अभियान के लिए तैनात राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीईआरएफ) के दो जवानों की ढूबने से मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को दी पुलिस अधीक्षक असिस्ट यादव ने बताया कि बुधवार शाम कुंवरी नदी पर बने बांध के स्लुइस गेट में एक गाय फंस गई, जिसके बाद उसका मालिक विजय सिंह और उनका चचेरा भाई दिनेश भद्रैरिया जलाशय में कूद गए। यादव ने पीटीआई-भाषा को बताया, यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर हुई। दिनेश सिंह तेज बहाव में बह गया। कचोंगरा गांव के निवासियों ने रसियों की मदद से विजय को बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने कहा, दिनेश को नदी के बीच में छाड़ियों में फंसा हुआ देखकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने उसे बचाने के लिए राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीईआरएफ) की मदद मांगी। जीवन रक्षक जैकेट पहने एसडीईआरएफ की तीन सदर्हीय टीम नदी में उतरी, लेकिन उनकी नाव पलट गई, जिससे वे तेज बहाव में गिर गए उन्होंने कहा कि एसडीईआरएफ के जवान प्रवीण कुशवाह और हरदास चौहान की जीवन रक्षक जैकेट तेज बहाव में फट गई, जबकि तीसरा जवान तैरकर सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। अधिकारी ने कहा कि 100 से अधिक जवानों को तैनात करने के बाद आज शाम कुशवाह और चौहान के शव बरामद किए गए। यादव ने एसडीईआरएफ के एक जवान से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि दिनेश और गाय को बुधवार को बचा लिया गया था। बुधवार रात को अंधेरे के कारण लापता दो जवानों को खोजने का अभियान रोक

**मोजपुर जिले में सड़क हादसे में एक
महिला के साथ दोनों नीचे**

ହାପାର୍ଯ୍ୟାମ ଫିଲେ ଲାଗା କା ନାତ
 आରା (ବିହାର)। ବିହାର କे ଭୋଜପୁର ଜିଲେ ମେ ଆରା-ବକସର ରାଜମାର୍ଗ ପର
 ବୃଦ୍ଧପ୍ରତିଵାର କୋ ଏକ ଜୀପ କେ ଡିଵାଇଡର ସେ ଟକରାକର ଦୁର୍ଘଟନାଗ୍ରସ୍ତ ହୋ ଜାନେ ସେ ଏକ
 ହୀ ପରିଵାର କେ ପାଂଚ ଲୋଗୋ କୀ ମୌତ ହୋ ଗିଲା । ପୁଲିସ ନେ ଯହ ଜାନକାରୀ ଦୀ ଥିଲା । ଭୋଜପୁର
 ଜିଲା ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଲ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଜାରି ଏକ ବ୍ୟାନ କେ ଅନୁସାର ବୃଦ୍ଧପ୍ରତିଵାର
 ମୁବହ ଗଜରାଜଗଂଜ ଥାନା କ୍ଷେତ୍ର ମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ଗ 922 ପର ବୀବାଙ୍ଗଜ ପୁଲ କେ ପାସ
 ଉତ୍ତର ବାହନ ଡିଵାଇଡର ସେ ଟକରାକର ଦୁର୍ଘଟନାଗ୍ରସ୍ତ ହୋ ଗଥା । ଇହ ହାଦସେ ମେ ପାଂଚ ଲୋଗୋ
 କୀ ମୌତ ହୋ ଗିଲା । ପୁଲିସ କେ ମୁତାବିକ ମୁତକୋ କୀ ପହଚାନ ଭୂପ ନାରାଯଣ ପାଠକ
 (56), ବିପୁଳ ପାଠକ (26), ରେନ୍ ଦେବୀ (55), ଅର୍ପିତା ପାଠକ (25) ଔର ସିଟି
 କୁମାର ଉର୍ଫ ହର୍ଷ କୁମାର (3) କେ ରୂପ ମେ ହୁଈ ହୈ । ପୁଲିସ କେ ଅନୁସାର ଇହ ଦୁର୍ଘଟନା
 ମେ ତୀନ ଲୋଗ ଗଂଭୀର ରୂପ ସେ ଘ୍ୟାଲ ଭୀ ହୋ ଗେ । ଘ୍ୟାଲୋମେ ଖୁଶୀ କୁମାରୀ (22),
 ମଧୁ ଦେବୀ (27) ଔର ବେଳୀ କୁମାରୀ (ପାଂଚ) ଶାମିଲ ହୁଏ । ପୁଲିସ ନେ ଘ୍ୟାଲୋମେ କୋ
 ଭୋଜପୁର ଜିଲା ମୁଖ୍ୟାଲ୍ୟ ଆରା ସିଥିତ ସଦର ଅସ୍ପତାଳ ମେ ଭର୍ତ୍ତା କରାଯାଇଛି ।

उनको इलाज जारा ह। ब्यान के अनुसार इस हॉटेस म हताहत हुए लाग भाजु जिले के अजीमाबाद थानाक्षेत्र के कमरिया गांव के निवासी थे और फिलहाल पटना जिले के रूपसंग्रह थाना क्षेत्र की अपर्ण बैंक कॉलोनी में रह रहे थे।

बंक खात आए आय का न्याय नहीं दिया जाए

इंदौर (मध्यप्रदेश)। इंदौर के कुटुम्ब न्यायालय ने 28 वर्षीय महिला द्वारा अपने पति से गुजारा भत्ता हासिल करने का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उसने अपने बैंक खाते और आय का स्पष्ट ब्योरा अदालत में पेश नहीं किया। बी. कॉम. की उपाधि प्राप्त महिला ने ट्रैवल एजेंट पति से अपने और दम्पति की तीन वर्षीय बेटी के भरण-पोषण के लिए 50,000 रुपए प्रति माह की रकम की मांग के साथ अदालत में दावा दायर किया था। कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एन पी सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय के एक फैसले की रोशनी में यह दावा खारिज कर दिया। अदालत ने प्रकरण के तथ्यों पर गौर के बाद अपने आदेश में कहा कि चूंकि महिला ने अपने हलफनामे में उसके बैंकिंग लेन-देन से जुड़े किसी खाते का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए लगता है कि वह कोई न कोई काम करके आमदनी हासिल कर रही है। कुटुम्ब न्यायालय ने कहा, प्रार्थी (महिला) आमदनी तो अर्जित कर रही है, लेकिन वह कितनी आमदनी अर्जित कर रही है, उसने इसका खुलासा नहीं किया है। इसलिए यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि दम्पति की नावालिंग संतान की पवरिश के लिए वह और प्रतिप्रार्थी (महिला का पति) कितनी गणि बढ़न करेंगे।

